भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2973
28.12.2018 को उत्तर के लिए

स्मोग और गंभीर प्रदूषण

2973. श्री रमेश चन्द्र कौशिक :
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल :
श्री कीर्ति आजाद :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और कई अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में दिवाली के त्यौहार के पश्चात् स्मोग और गंभीर प्रदूषण के लिहाज से अत्यधिक गंभीर स्थिति का सामना किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सुभेद्य वर्ग को राहत प्रदान करने हेतु दिल्ली और उत्तर भारतीय राज्यों में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(डॉ. महेश शर्मा)

(क) और (ख) उपलब्ध आंकडों के अनुसार, दिल्ली और अन्य उत्तर भारत के राज्यों में खास तौर पर सर्दियों के महीनों/दिवाली के दौरान विविक्त कण के संबंध में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर देखे गए हैं।

(ग) केंद्रीय सरकार ने दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण एवं उपशमन के लिए व्यापक कार्य योजना (सीएपी) अधिसूचित की है। केंद्रीय सरकार ने व्यापक रीति से देशभर में बढ़ती हुई वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए दीर्घावधि समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में केंद्रीय क्षेत्र की 'प्रदूषण नियंत्रण' स्कीम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को अंतिम रूप भी दिया है। एनसीएपी के तहत शहर विशिष्ट कार्रवाई योजना के प्रतिपादन और कार्यान्वयन के लिए एक सौ दो (102) गैर-अनुपालकर्ता शहरों का चयन किया गया है।

सरकार ने वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के लिए ग्रेडिड अनुक्रिया कार्य योजना की अधिसूचना वैकल्पिक ईंधन की जैसे गैसीय ईंधन (सीएनजी; एलपीजी आदि), इथनोल मिश्रण की शुरूआत; 2017 से बीएस-IV का सार्वभौमिकरण; 1 अप्रैल, 2018 से एनसीटी दिल्ली में और 1 अप्रैल, 2020 से पूरे देश में बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानकों को लागू करना; निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित करना; बायोमास को जलाने पर प्रतिबंध लगाना; निर्माण एवं विध्वंस के लिए धूल के शमन उपायों के कार्यान्वयन के बारे में अधिसूचनाएं; सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा; प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करने को सुव्यवस्थित करना; 1151.80 करोड़ रूपए की लागत से वर्ष 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेष के यथा स्थान प्रबंधन के लिए 'कृषि संबंधी यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू करना शामिल है।

****